

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण-2017 की धारा-12 एवं धारा-13 में दिये गये प्राविधानानुसार प्राप्त विकल्प एवं अनुरोध का विवरण।

5-परिवहन कर अधिकारी

सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्र परिवहन कर अधिकारी (अवरोही क्रम में)

1- सुगम से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्र अधिकारी-14

क्र०सं०	नाम सर्वश्री	गृह जनपद	वर्तमान तैनाती स्थल	सुगम क्षेत्र में वर्तमान तैनाती की अवधि	सुगम क्षेत्र में तैनाती की कुल अवधि	विकल्प			अनुरोध	अभ्युक्ति	
1	सत्येन्द्र राज	उत्तरकाशी	कौड़िया	05 वर्ष 09 माह 29 दिन	16 वर्ष 08 माह 30 दिन	1	टिहरी	6	रामनगर दल		
						2	पौड़ी	7			
						3	कोटद्वार दल	8			
						4	उत्तरकाशी	9			
						5	विकासनगर दल	10			
2	जितेन्द्र	टिहरी	पुलभट्टा	06 माह 05 दिन	16 वर्ष 08 माह 30 दिन	1	रुड़की	6	पौड़ी	इनके द्वारा अवगत कराया गया है कि उने माता पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और गत छह माह से पिताजी गंभीर बीमार हैं। उनका स्टोर्क एवं कोविड 19 निमोनिया का इलाज एम्स, नई दिल्ली से चल रहा है। उनकी पत्नी एम्स, नई दिल्ली में कार्यरत हैं उनकी दो पुत्रियां हैं जो माता-पिता सहित दिल्ली में निवास करते हैं। उनके द्वारा इच्छित विकल्पों में दिये गये स्थानों पर स्थानांतरण किये जाने का अनुरोध किया गया है।	
						2	काशीपुर	7	-		
						3	रुद्रपुर	8	-		
						4	हल्द्वानी टास्कफोर्स	9	-		
						5	रामनगर	10	-		
3	शान्ति प्रसाद	पिथौरागढ़	पुलभट्टा	07 वर्ष 09 माह 29 दिन	16 वर्ष 08 माह 29 दिन	1	टनकपुर	6	-		
						2	पिथौरागढ़	7	-		
						3	काशीपुर	8	-		

(Handwritten signatures and initials)

				22 दिन		4	रामनगर	9	-		
						5	रुद्रपुर	10	-		
4	कुलवन्त सिंह	टिहरी	रूड़की	05 माह	12 वर्ष 09 माह 20 दिन	1	कोटद्वार दल	6	-	इनके द्वारा अपने पत्र दिनांक 24-05-2022 के अंतर्गत उल्लेख किया गया है कि उनका स्थानान्तरण शासन के आदेश संख्या-756 दिनांक 31-12-2021 के द्वारा प्रवर्तन दल नैनीताल (दुर्गम) से रूड़की कार्यालय में हुआ है। प्रवर्तन दल रूड़की में उन्हें छः माह की अवधि भी कार्य करते हुए पूर्ण नहीं हुयी है तथा उनका नाम स्थानान्तरण हेतु पात्रता सूची में दर्शाया गया है। उनके वृद्ध पिताजी 78 वर्ष की आयु में ऑक्सीजन सपोर्ट पर निर्भर हैं। तथा उनकी पत्नी उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में राजकीय प्राथमिक विद्यालय बट्टीपुर विकास खण्ड रायपुर जनपद देहरादून में सहायक अध्यापिका के पद पर जिला केडर में कार्यरत हैं। उनके द्वारा धारा 13 एवं 17 (ख-4) में उल्लिखित प्रावधानों के तहत उनका स्थानान्तरण जनपद देहरादून करने अथवा वर्तमान कार्यस्थल पर ही रखे जाने का अनुरोध किया गया है।	अधिनियम की धारा-13(3)
					2	पौड़ी	7	-			
					3	रामनगर दल	8	-			
					4	-	9	-			
					5	-	10	-			
5	महावीर सिंह नेगी	रुद्रप्रयाग	कुल्हाल	04 वर्ष 10 माह 13 दिन	08 वर्ष 05 माह 07 दिन	1	प्रवर्तन दल कोटद्वार	6	ऋषिकेश		
						2	विकासनगर	7	कोटद्वार		
						3	देहरादून	8	पौड़ी		
						4	परिवहन आयुक्त कार्यालय	9	-		
						5	हरिद्वार	10			
6	नन्दन प्रसाद आर्य	नैनीताल	मझौला	07 वर्ष 09 माह 18 दिन	08 वर्ष 05 माह 06 दिन	1	काशीपुर	6	-		
						2	टनकपुर प्रशा0	7	-		
						3	टनकपुर प्रवर्तन	8	-		
						4	रुद्रपुर टास्कफोर्स 1	9	-		
						5	रुद्रपुर टास्कफोर्स 2	10	-		

Handwritten signature and text: Handwritten signature Handwritten text Handwritten text Handwritten text Handwritten text

7	संगीता धीमान	हरिद्वार	भगवानपुर	06 वर्ष 07 माह 02 दिन	08 वर्ष 05 माह 05 दिन	1	सड़क सुरक्षा एवं प्रवर्तन कार्यालय चिड़ियापुर	6	ऋषिकेश दल			
						2	सड़क सुरक्षा एवं प्रवर्तन कार्यालय नारसन	7	सड़क सुरक्षा एवं प्रवर्तन कार्यालय आशारोड़ी			
						3	सड़क सुरक्षा एवं प्रवर्तन कार्यालय भगवानपुर	8	कोटद्वार दल			
						4	हरिद्वार प्रवर्तन दल	9	देहरादून दल			
						5	रूड़की प्रवर्तन दल	10	विकासनगर			
8	महिपाल दत्त पपनोई	अल्मोड़ा	भगवानपुर	08 वर्ष 05 माह 05 दिन	08 वर्ष 05 माह 05 दिन	1	देहरादून टास्कफोर्स	6	विकासनगर टास्कफोर्स			
						2	देहरादून राजस्व	7	रूड़की टास्कफोर्स			
						3	मुख्यालय(आई0टी0)	8	-			
						4	हरिद्वारा टास्कफोर्स	9	-			
						5	हरिद्वार राजस्व	10	-			
9	मनीषा शाह	देहरादून	चिड़ियापुर	06 वर्ष 07 माह 02 दिन	08 वर्ष 05 माह 03 दिन	1	ऋषिकेश	6	-			
						2	हरिद्वार	7	-			
						3	टिहरी	8	-			
						4		9	-			
						5		10	-			
10	परीक्षित सिंह भण्डारी	चमोली	कुल्हाल	04 वर्ष 11 माह 19 दिन	08 वर्ष 05 माह 03 दिन	1		6	-			
						2		7	-			
						3		8	-			
						4	-	9	-			
						5	-	10	-			
11	हरीश कुमार सती	पौड़ी	कौड़िया	08 वर्ष 03 माह 08 दिन	08 वर्ष 03 माह 08 दिन	1	चिड़ियापुर	6	-	इनके द्वारा अपने पत्र दिनांक 27-05-2022 के अंतर्गत अवगत कराया गया है कि विगत 10 वर्षों से उनका उपचार एम्स, दिल्ली से चल रहा है। उनके अभी तक 04 ऑपरेशन हो गये हैं एवं शरीर के दाहिने भाग में दिक्कत रहती है। जो ठण्ड के समय पीडादायक हो जाती है। उनकी माता जी का दिल्ली एम्स से कैंसर का उपचार चल रहा है जिसकी		
						2	नारसन	7	-			
						3	भगवानपुर	8	-			
						4	कुल्हाल	9	-			
						5	आशारोड़ी	10	-			

[Handwritten signature and text]

											जिम्मेदारी उन्हें ही उतानी पड़ती है। उनके द्वारा स्थानान्तरण प्रक्रिया में एक्ट के प्राविधानों से राहत प्रदान करने अथवा ऐसे स्थान पर स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया है जहां उनके व उनकी माताजी के उपचार में सुविधा रहे।	
12	श्वेता रौथाण	टिहरी	आशारोड़ी	08 वर्ष 03 माह 06 दिन	08 वर्ष 03 माह 06 दिन	1 नैनीताल	6	--				
						2 रामनगर	7	--				
						3 अल्मोड़ा	8	--				
						4 पौड़ी	9	--				
						5 विकासनगर	10	--				
13	विजय कुमार आर्य	उत्तरकाशी	काशीपुर चैकपोस्ट	06 वर्ष 07 माह 01 दिन	07 वर्ष 02 माह 24 दिन	1 टिहरी	6	--			इनके द्वारा अवगत कराया गया है कि वे उत्तरकाशी के निवासी हैं तथा काशीपुर चैकपोस्ट पर कार्यरत हैं। उनकी पत्नी वन क्षेत्राधिकारी के पद पर टिहरी गढ़वाल में कार्यरत हैं। उनका तीन वर्ष का एक छोटा बच्चा है। उनके माता-पिता उत्तरकाशी में निवास करते हैं। जिस कारण परिवार एवं माता-पिता की देखभाल करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। उनके द्वारा स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 13 के खण्ड 3 के प्राविधानानुसार दिये गये विकल्पों में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया है।	अधिनियम की धारा-13 (3)
						2 ऋषिकेश	7	--				
						3 पौड़ी	8	--				
						4 हरिद्वार	9	--				
						5 --	10	--				
14	प्रमोद कर्नाटक	नैनीताल	काशीपुर चैकपोस्ट	06 वर्ष 07 माह	07 वर्ष 02 माह 13 दिन	1 रामनगर प्रवर्तन दल	6	रानीखेत प्रवर्तन दल				
						2 टनकपुर प्रवर्तन दल	7	--				
						3 रूद्रपुर चैकपोस्ट	8	--				
						4 फुटभट्टा	9	--				
						5 अल्मोड़ा प्रवर्तन दल	10	--				

Amel *Amel* *Amel* *Amel* *Amel* *Amel* *Amel* *Amel*

P.O.

दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्र परिवहन कर अधिकारी (अवरोही क्रम में)

1- दुर्गम से सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्र अधिकारी- 05

क्र०सं०	नाम सर्वश्री	गृह जनपद	वर्तमान तैनाती स्थल	दुर्गम क्षेत्र में वर्तमान तैनाती की अवधि	दुर्गम क्षेत्र में तैनाती की कुल अवधि	विकल्प			अनुरोध	अभ्युक्ति	
1	नवीन कुमार सिंह	गौंडा, उत्तर प्रदेश	पिथौरागढ़	06 वर्ष 07 माह 08 दिन	07 वर्ष 10 दिन	1	उधमसिंहनगर प्रवर्तन	6	कोटद्वार प्रशासन		
						2	हरिद्वार प्रशासन	7	हल्द्वानी प्रवर्तन		
						3	काशीपुर प्रवर्तन	8	-		
						4	काशीपुर प्रशासन	9	-		
						5	हल्द्वानी प्रशासन	10	-		
2	प्रमोद चौधरी	नैनीताल	अल्मोड़ा	03 वर्ष 10 माह 22 दिन	03 वर्ष 10 माह 22 दिन	1		6	-		
						2		7	-		
						3		8	-		
						4		9	-		
						5		10	-		
3	नेहा झा	उधमसिंहनगर	रामनगर दल	03 वर्ष 10 माह 18 दिन	03 वर्ष 10 माह 18 दिन	1	काशीपुर	6	-	इनके द्वारा अवगत कराया गया है कि उन्हें दुर्गम से सुगम हेतु पात्रता की श्रेणी में रखा गया है। उनके पिताजी को पैरालिसेस है तथा उनके द्वारा ही उनकी देखरेख की जाती है। उनके द्वारा स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 13(2) में दिये गये प्राविधानानुसार रामनगर कार्यालय में ही बने रहने का अनुरोध किया गया है।	अधिनियम की धारा-13 (2)
						2	रूद्रपुर	7	-		
						3		8	-		
						4		9	-		
						5		10	-		
4	दामिनी अरोड़ा	नैनीताल	अल्मोड़ा	02 वर्ष 09 माह 29 दिन	02 वर्ष 09 माह 29 दिन	1		6	-		
						2		7	-		
						3		8	-		
						4		9	-		

(Handwritten signature and text)

5	संगीता भट्ट	टिहरी	रुद्रप्रयाग	02 वर्ष 05 माह 23 दिन	02 वर्ष 05 माह 23 दिन	5	10	-	इनके द्वारा अपने पत्र दिनांक 27-05-2022 के अंतर्गत उल्लेख किया गया है कि वे तथा उनके पति सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय, रुद्रप्रयाग में कार्यरत हैं। उनके दो शिशु हैं जिनकी आयु पांच वर्ष से कम है एवं दोनों की देखरेख हेतु उनके अतिरिक्त घर पर कोई नहीं है। बालकों की देखरेख हेतु दोनों का एक ही स्थान पर होना अति आवश्यक है। उनके द्वारा उनका स्थानान्तरण जहां भी अपेक्षित हो उसी कार्यालय में उनके पति का भी स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया है।	अधिनियम की धारा-13 (3) के अन्तर्गत
						1	6	-		
						2	7	-		
						3	8	-		
						4	9	-		
5	10	-								

Ans

Swati Sen. P.O.

पात्रता सूची में न आने वाले परिवहन कर अधिकारी के अनुरोध का विवरण:-

क्र० सं०	अधिकारी का नाम सर्वश्री	गृह जनपद	वर्तमान तैनाती स्थल	वर्तमान तैनाती स्थल पर तैनाती की अवधि	अनुरोध	अभ्युक्ति
1	कृष्ण चन्द्र	नैनीताल	बागेश्वर	05 माह	श्री कृष्ण चन्द्र द्वारा अवगत कराया गया है कि उनकी पत्नी उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक, पिथौरागढ़ में शाखा प्रबन्धक के पद पर कार्यरत हैं। अतः श्री कृष्ण चन्द्र, परिवहन कर अधिकारी द्वारा दुर्गम से दुर्गम में अनुरोध के आधार पर पिथौरागढ़ कार्यालय में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया है।	अधिनियम की धारा-13(3)
2	राजेन्द्र विराटिया	देहरादून	रुद्रप्रयाग	05 माह	इनके द्वारा अवगत कराया गया है शासन के आदेश संख्या-757 दिनांक 31-12-21 के द्वारा उनका स्थानान्तरण पौड़ी से सहायक सीमागी परिवहन कार्यालय, रुद्रप्रयाग (दुर्गम से दुर्गम) हुआ। जो कि स्थानान्तरण एक्ट के प्रावधानों से भिन्न था। तथा वे धारा 10(क) के अनुसार दुर्गम से सुगम हेतु पात्र थे। वर्तमान में उन्हें रुद्रप्रयाग कार्यालय में 05 माह से अधिक समय हो गया है। प्रथम नियुक्ति की तिथि से वर्तमान समय तक कुल 04 सल 01 माह की सेवा सेवा दुर्गम स्थल पर पूर्ण की गयी है। तथा सुगम क्षेत्र में कार्यकाल शून्य रहा है। उनकी तैनाती से पूर्व ही रुद्रप्रयाग कार्यालय में परिवहन कर अधिकारी-1 तैनात थी, जो कि उनसे वरिष्ठ हैं तथा कार्यालय में परिवहन कर अधिकारी-1 का 01 पद ही स्वीकृत था। वर्ष 2022 में संपन्न हुए समान्य विधानसभा चुनाव में भी नोडल अधिकारी परिवहन नियुक्त रहे तथा भविष्य में होने वाले लोकसभा चुनाव में भी पुनः स्थानान्तरण होने की प्रबल संभावना है। जिसके कारण उनकी एक स्थान पर तैनाती लगातार 03 साल पूर्ण होना कभी संभव नहीं है। उनके द्वारा वृद्ध माता-पिता जिनकी आयु	अधिनियम की धारा-13(3)

(Handwritten signatures and initials)

					<p>75 वर्ष से अधिक है व जो कि विगत 15 वर्षों से गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। उनकी पत्नी शिक्षा विभाग में पौड़ी गढ़वाल में अतिदुर्गम क्षेत्र में कार्यरत हैं। उनका 02 वर्ष का पुत्र भी है। जिसके कारण वे वृद्ध माता-पिता तथा 02 वर्ष के बालक की देखभाल सही प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं।</p> <p>उनके द्वारा अधिनियम की धारा-13(3) के अन्तर्गत कोटद्वार, पौड़ी, देहरादून कार्यालय में से किसी एक स्थान पर स्थानान्तरण का अनुरोध किया गया है।</p>	
3	निर्मला आर्या	पिथौरागढ़	परिवहन कर संग्रह केन्द्र, रूद्रपुर	06 वर्ष 06 माह 13 दिन	<p>इनके द्वारा अपने पत्र दिनांक 04-06-2022 के अंतर्गत अवगत कराया गया है कि वे वर्ष 2015 से कर संग्रह केन्द्र, रूद्रपुर में कार्यरत हैं तथा उनके पति स्वास्थ्य विभाग में वरिष्ठ चिकित्सक के पद पर कार्यरत हैं एवं उनकी दो पुत्रियां (11 वर्ष 08 वर्ष) हैं जिनकी देखभाल वे रूद्रपुर में अकेले कर रहे हैं। बच्चों की उचित देखभाल हेतु दोनों का एक ही स्थान पर होना आवश्यक है। उनके द्वारा वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के क्रमांक 13 पर अंकित बिंदु (3) के आधार पर उनका स्थानान्तरण संभागी परिवहन कार्यालय, अल्मोड़ा संभाग (दुर्गम क्षेत्र) में किये जाने का अनुरोध किया गया है।</p>	अधिनियम की धारा-13(3)
4	मुकेश कुमार सैनी	हरिद्वार	उत्तरकाशी	05 माह	<p>इनके द्वारा अपने पत्र दिनांक 14-06-2022 के अंतर्गत अवगत कराया गया है कि आदेश संख्या-1749 दिनांक 13-05-2022 के द्वारा परिवहन आयुक्त कार्यालय में परिवहन कर अधिकारी (आई. टी.), परिवहन कर अधिकारी (कराधान) एवं परिवहन कर अधिकारी (नियोजन एवं आधुनिकीकरण) के नाम से आवंटित किये गये हैं वे उन दो में से किसी भी पद पर कार्य करने के इच्छुक हैं। उनकी पत्नी शिक्षा विभाग में जनपद हरिद्वार में कार्यरत हैं। जिस कारण दो बच्चों एवं वृद्ध मां की देखभाल उचित ढंग से नहीं हो पा रही है।</p>	

(Handwritten signatures and initials)

					<p>उनका गृह जनपद हरिद्वार है। राजपत्रित अधिकारी होने के कारण उनका स्थानान्तरण गृह जनपद में नहीं हो सकता है।</p> <p>उनके द्वारा धारा 13(3) के अंतर्गत हरिद्वार के निकटवर्ती जनपद देहरादून में परिवहन आयुक्त कार्यालय में उपरोक्त तीन पदों में से किसी पर भी करने का अनुरोध किया गया है।</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Arad Arad Arad Arad

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण-2017 की धारा-12 एवं धारा-13 में दिये गये प्राविधानानुसार प्राप्त विकल्प एवं अनुरोध का विवरण।

6-परिवहन कर अधिकारी-2

सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्र परिवहन कर अधिकारी-2 (अवरोही क्रम में)

1- सुगम से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिक- 17

क्र०सं०	नाम सर्वश्री	गृह जनपद	वर्तमान तैनाती स्थल	सुगम क्षेत्र में वर्तमान तैनाती की अवधि	सुगम क्षेत्र में तैनाती की कुल अवधि	विकल्प			अनुरोध	अभ्युक्ति	
1	रमेश कुमार सुनेजा	उधमसिंहनगर	उधमसिंहनगर	02 वर्ष 05 माह 26 दिन	10 वर्ष 02 माह	1	मझौला	6	टनकपुर प्रवर्तन		
						2	पुलभट्टा	7	-		
						3	रुद्रपुर	8	-		
						4	पिथौरागढ़	9	-		
						5	पिथौरागढ़ प्रवर्तन	10	-		

दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्र परिवहन कर अधिकारी-2 (अवरोही क्रम में)

1- दुर्गम से सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिक- 05

क्र०सं०	नाम सर्वश्री	गृह जनपद	वर्तमान तैनाती स्थल	दुर्गम क्षेत्र में वर्तमान तैनाती की अवधि	दुर्गम क्षेत्र में तैनाती की कुल अवधि	विकल्प			अनुरोध	अभ्युक्ति	
1	सुन्दर लाल	टिहरी	रुद्रप्रयाग	02 वर्ष 05	04 वर्ष	1	हरिद्वार	6	-	-	
						2	विकासनगर	7	-		

(Signature)

(Signature)

	पाण्डेय			माह 20 दिन	04 माह 05 दिन	3	रूड़की	8	-		
						4	देहरादून	9	-		
						5	-	10	-		
2	नवीन चन्द्र तिवारी	अल्मोड़ा	अल्मोड़ा	02 वर्ष 05 माह 27 दिन	02 वर्ष 05 माह 27 दिन	1	-	6	-		
						2	-	7	-		
						3	-	8	-		
						4	-	9	-		
						5	-	10	-		
3	हरीश रावल	बागेश्वर	बागेश्वर	02 वर्ष 05 माह 27 दिन	02 वर्ष 05 माह 27 दिन	1	रूड़की	6	-		
						2	ऋषिकेश	7	-		
						3	हरिद्वार	8	-		
						4	उधमसिंहनगर	9	-		
						5	-	10	-		
4	तारकेन्द्र वैष्णव	उधमसिंहनगर	पौड़ी	02 वर्ष 05 माह 03 दिन	02 वर्ष 05 माह 03 दिन	1	उधमसिंह नगर	6	ऋषिकेश		
						2	काशीपुर	7	देहरादून		
						3	हल्द्वानी	8	कोटद्वार		
						4	हरिद्वार	9	विकासनगर		
						5	रूड़की	10	-		
5	मुकुल अग्रवाल	उधमसिंहनगर	पिथौरागढ़	02 वर्ष 05 माह 01 दिन	02 वर्ष 05 माह 01 दिन	1	टास्कफोर्स उधमसिंहनगर/ इन्टरसेप्टर	6	-		
						2	रूद्रपुर कार्यालय	7	-		
						3	टास्कफोर्स काशीपुर	8	-		
						4	टास्कफोर्स हल्द्वानी	9	-		
						5	-	10	-		

(Signature)

Jointly for P.O.

पात्रता सूची में न आने वाले परिवहन कर अधिकारी-2 के अनुरोध का विवरण:-

क्र० सं०	अधिकारी का नाम सर्वश्री	गृह जनपद	वर्तमान तैनाती स्थल	वर्तमान तैनाती स्थल पर तैनाती की अवधि	अनुरोध	अभ्युक्ति
1	अभिलाष गैरोला	रूद्रप्रयाग	कोटद्वार	02 वर्ष 05 माह 26 दिन	इनके द्वारा अपने पत्र दिनांक 28-05-2022 के अंतर्गत अवगत कराया गया है कि उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अपराजिता पाण्डे, परिवहन कर अधिकारी-2 के पद पर संभागीय परिवहन कर अधिकारी, हल्द्वानी में कार्यरत हैं। उनके द्वारा स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अधीन उनका स्थानान्तरण धर्मपत्नी के क्षेत्र में किये जाने का अनुरोध किया गया है।	अधिनियम की धारा-13(3)
2	हरीश रावल	बागेश्वर	बागेश्वर	02 वर्ष 05 माह 27 दिन	इनके द्वारा अवगत कराया गया है कि वे 04-12-2019 से बागेश्वर (दुर्गम) कार्यालय में कार्यरत हैं। उनके घर पर उनकी वृद्ध दादी, पत्नी एवं तीन वर्षीय पुत्र हैं। वृद्ध दादी द्वारा ही उनका पालन-पोषण किया गया है। उनकी जिम्मेदारी प्रार्थी की ही है। वे अपनी दादी मां को अकेला असहाय व असुरक्षित नहीं छोड़ना चाहते। उनके द्वारा उनकी जटिल पारिवारिक परिस्थितियों के दृष्टिगत उन्हें दुर्गम बागेश्वर कार्यालय में ही रखे जाने का अनुरोध किया गया है।	
3	गुरुमुख सिंह	उधमसिंहनगर	टनकपुर	02 वर्ष 05 माह 01 दिन	इनके द्वारा अवगत कराया गया है कि उनका नाम सुगम से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों की सूची में क्रमांक 01 पर अंकित है। उनकी आयु 56 वर्ष से अधिक है एवं उनकी सेवा निवृत्ति की तिथि 31-12-2025 है। उनके द्वारा स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-07 की उपधारा (घ) (एक) के अंतर्गत स्थानान्तरण से छूट प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।	55 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ कार्मिक



 5-10